न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 154/2020 **दायर तारीख :–** 20-11-2020

1. प्रभूदयाल पुत्र मांगूराम जाति गुर्जर निवासी सेवरा पटवार हल्का तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर। **— प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0। **— अप्रार्थी**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.03.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सेवरा पटवार हल्का तेवडी के खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 67/0.10, 69/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। यह है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार विराटनगर के आदेश कमांक–सीमाज्ञान/31 दिनांक 04.11.2020 की पालना में दिनांक 09.11.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके सेवरा पटवार हल्का तेवडी के खसरा नम्बर 67/0.10, 69/0.15 हैक्टेयर भूमि की सीमाकंन, पत्थरगढ़ी एवं सीमा निश्यचकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज,पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाव सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सेवरा, नकल जमाबन्दी ग्राम सेवरा खाता संख्या 82 संवत् 2074–77, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 09.11.2020 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम सेवरा पटवार हल्का तेवडी के खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 67/0.10, 69/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने का तहसीलदार विराटनगर के आदेश कमांक–सीमाज्ञान/31 दिनांक 04.11.2020 की पालना में दिनांक 09.11.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम सेवरा पटवार हल्का तेवडी के खसरा नम्बर 67/0.10, 69/0.15 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर